29/1/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अथवा वादिया की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। बार बार आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के कोई भी उपस्थित नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति उदासीन है तथा वाद को चलाना नहीं चाहता। अतः वाद वादी अदम हाजरी बइ पैरवी में खारिज किया जाना उचित समझते हैं। वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट